संख्या-459/2022/1202रासनि/23-1-22/003-02आरएसएन/2022टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 07 दिसम्बर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 56 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2280/CE-HQ-1/RSN 5054/ALI/2022-23, दिनांक 25.11.2022 एवं 2301/CE-HQ-1/RSN 5054/ALI/2022-23, दिनांक 28.11.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 56 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 33,09,37,000/- (रूपये तैंतीस करोड़ नौ लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत ग्राम रायट से बसई मार्ग का नव निर्माण कार्य।	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	235.37	170.07	23.54	41.76	41.76
2	प्रा.ख. अलीगढ़	जलालपुर से राऊपुर पिसावा गोठनी मिसिंग लिंक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20	329.72	280.28	32.94	16.50	16.50
3	प्रा.ख. अलीगढ़	ग्राम ताहरपुर से हेतलपुर सम्पर्क मार्ग का कार्य	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20	83.77	25.27	14.11	44.39	44.39
4	प्रा.ख. अलीगढ़	चित्तन नगला से जगतपुर सम्पर्क मार्ग का कार्य (छूटी कड़ी)	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	93.38	35.02	13.70	44.66	44.66
5	प्रा.ख. अलीगढ़	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत रकराना शाहपुर मार्ग से जलोखरी मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	261/2021/1084 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21	81.88	21.21	21.58	39.09	39.09
6	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत कटका से नरूपुरा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	281/2021/866 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21 टी0सी0	186.17	50.10	41.60	94.47	94.47
7	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत नानऊ दादों मार्ग से नगला हीरा (अटा) सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	281/2021/866 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21 टी0सी0	75.37	20.12	17.47	37.78	37.78
8	प्रा.ख. अलीगढ़	शहीद पथ योजनान्तर्गत चण्डौस पिसावा मार्ग से नगला भूपसिंह तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	130.52	26.10	33.56	70.86	70.86
9	प्रा.ख. अलीगढ़	अतरौली गनियावली संपर्क मार्ग से एस0डी0 फार्मेसी कॉलेज तक मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	27.47	8.25	4.23	14.99	14.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत लास्की से भमसोई संपर्क मार्ग के शेष भाग का नव निर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	71.86	21.57	12.42	37.87	37.87
11	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत नगला बादुल से अलीपुर संपर्क मार्ग के शेष भाग का नव निर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	80.44	24.12	14.66	41.66	41.66
12	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत बढेसरा हॉस्पिटल से ग्राम चंदौआ संपर्क मार्ग के शेष भाग का नव निर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	170.04	42.50	30.06	97.48	97.48
13	प्रा.ख. अलीगढ़	धूमरा से शिवाला मार्ग की मरम्मत का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	93.49	18.70	20.93	53.86	53.86
14	प्रा.ख. अलीगढ़	छाता बाजना से मथना निवसानी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	64.82	12.96	14.73	37.13	37.12
15	प्रा.ख. अलीगढ़	चण्डौस पिसावा मार्ग से चीती मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	53.84	24.57	10.09	19.18	19.18
16	नि.ख.-1 अलीगढ़	तालसपुर से कटटीखाना मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	64.40	42.78	5.00	16.62	16.62
17	नि.ख.-1 अलीगढ़	दहोड़ा से ईखू (मथुरा सीमा तक) मिसिंग लिंक भाग का नवनिर्माण का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	138.22	70.33	26.21	41.68	41.68
18	नि.ख.-1 अलीगढ़	गोदलपुर मोड से रामपुर तक मिसिंग लिंक नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	78.06	42.14	0.00	35.92	20.14
19	नि.ख.-1 अलीगढ़	जटवार से महवला मार्ग तक मिसिंग लिंक नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	63.01	33.93	0.00	29.08	17.17
20	नि.ख.-1 अलीगढ़	गांगरोल-नगला ढ़क मार्ग से जनपद हाथरस सीमा तक जोड़ने वाले मिसिंग लिंक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	85.66	34.96	0.00	50.70	34.24
21	नि.ख.-1 अलीगढ़	क्यामपुर रोड से बम्बा की पटरी की पुलिया से देवी नगला अहेरिया मौहल्ला तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	82.94	33.12	0.00	49.82	26.00
22	नि.ख.-1 अलीगढ़	क्यामपुर से याकूतपुर नाला (जाफरी डेन) तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	61.91	37.02	4.89	20.00	20.00
23	नि.ख.-1 अलीगढ़	अटलपुर से मूसेपुर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	60.56	28.31	0.00	32.25	32.23
24	नि.ख.-1 अलीगढ़	ढाटौली से शेखूपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	54.00	22.93	0.00	31.07	17.53
25	प्रा.ख. अलीगढ़	रामपुर चंदियाना नहर पुल से दादो सांकरा मार्ग से नहर पटरी संपर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य। (छूटी कड़ी)	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20	179.39	139.65	12.37	27.37	27.37
26	प्रा.ख. अलीगढ़	गोण्डा खैर मार्ग से गौंदोली सम्पर्क मार्ग का कार्य	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20	171.90	77.42	30.49	63.99	63.99
27	प्रा.ख. अलीगढ़	बाढ़ौल से बिजौली मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य।	281/2021/866 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21 टी0सी0	83.80	30.89	18.89	34.02	34.02
28	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत रजाताऊ मार्ग से मऊपुर सम्पर्क मार्ग का नव	281/2021/866 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21	53.75	28.56	12.74	12.45	12.45

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		निर्माण कार्य।	टी0सी0					
29	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत पाली मुकीमपुर से लास्की मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	281/2021/866 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21 टी0सी0	230.50	51.86	52.73	125.91	115.25
30	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत जगदीश सिंह के खेत से पीपली गाँव तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	281/2021/866 रासनि/23-1-21-02 रासनि/21 टी0सी0	149.93	40.75	31.91	77.27	77.27
31	प्रा.ख. अलीगढ़	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत हरदोई प्यावली नरूपुरा पनहेरा (ओ0डी0आर0) सिधौली पुल से जनपद बुलन्दशहर की सीमा तक संपर्क मार्ग के शेष भाग का नव निर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	288.07	43.21	46.53	198.33	144.04
32	प्रा.ख. अलीगढ़	कुराना बम्बा से ताहरपुर मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	51.29	15.39	8.37	27.53	27.53
33	नि.ख.-1 एटा	जिनावली मार्ग से बरा भौड़ेला वाया नगला किशन मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	75.80	53.83	12.56	9.41	9.41
34	नि.ख.-1 एटा	सादाबाद जलेसर अवागढ़ मार्ग (एस0एच0-122) किमी 37 से नारऊ वीरनगर पुल से जलूखेड़ा नगला भिखारी बोरा कलां होते हुए सरकरी तक निर्माण	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	157.54	62.72	28.18	66.64	66.64
35	नि.ख.-1 एटा	दौलतपुर मुस्की मोड़ बम्बा की पटरी होते हुए नगला घनश्याम मार्ग तक	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	101.26	41.24	19.57	40.45	40.45
36	नि.ख.-1 एटा	टिकाथर से बहोरनपुर तक मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	244/2021/960 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी3	32.64	14.48	6.94	11.22	11.22
37	नि.ख.-1 एटा	बोर्रा खुर्द से नगला बघेल तक मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	244/2021/960 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी3	19.45	8.55	4.30	6.60	6.60
38	नि.ख.-1 एटा	मिर्जापुर जगतपुर मार्ग से नगला जमुनिया मार्ग तक का पुनर्निर्माण का कार्य।	273/2021/1139 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21	156.04	41.55	36.66	77.83	77.83
39	नि.ख.-1 एटा	टूण्डला एटा मार्ग से जरानी कलां वाया हसनपुर मार्ग तक का पुनर्निर्माण का कार्य।	273/2021/1139 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21	55.63	24.53	12.13	18.97	18.97
40	नि.ख.-1 एटा	जलेसर आगरा मार्ग से ग्राम टिपरिया मार्ग पर पुनर्निर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	61.71	18.33	6.90	36.48	36.48
41	नि.ख.-1 एटा	नगला पोंकर पिपहरा नगला बन्दी वाया रमण्डपुर मार्ग का पुनःनिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	66.70	6.67	8.06	51.97	47.00
42	नि.ख.-1 एटा	ग्राम अकराबाद से बम्बा की पटरी होते हुए रामबाग मन्दिर तक मिसिंग लिंक का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	164.15	45.17	0.13	118.85	95.00
43	नि.ख.-1 एटा	बत्तपुरा से पिलखतरा मार्ग तक मिसिंग लिंक का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	220.01	49.50	49.43	121.08	95.00
44	नि.ख.-1 एटा	जलेसर सादाबाद मार्ग पर स्थित ग्राम जमॉ से वाया नगला चॉद से महानमई हाथरस जलेसर मार्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	113.16	31.07	0.46	81.63	56.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	नि.ख.-1 एटा	कमसान नगरिया (अ0जि0मा0) से रूस्तमगढ से नगला बरी होते हुए नगला सुजान तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	140.75	38.58	3.26	98.91	70.34
46	नि.ख. कासगंज	नगला बेरू धर्मपुर मार्ग से नगला करन मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20	113.19	39.31	14.79	59.09	47.00
47	नि.ख. कासगंज	बरईपुर गंगपुर मार्ग से नगला पहलवान मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20	61.23	27.88	14.10	19.25	15.00
48	नि.ख. कासगंज	जैथरा थाना दरियावगंज मार्ग से नगला मुलू मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20	33.34	20.00	0.20	13.14	13.14
49	नि.ख. कासगंज	पटियाली धुमरी मार्ग से उतरना होते हुए नगला मुलू तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	217.37	46.12	37.69	133.56	107.00
50	नि.ख. कासगंज	कुढा मार्ग से ग्राम रौकरी तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	131.04	38.29	26.33	66.42	53.00
51	नि.ख. कासगंज	ग्राम सिकन्दरपुर खुर्द से ग्राम इस्माइलपुर-सुन्गढी की डामर सड़क तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	213.96	43.81	49.15	121.00	97.00
52	नि.ख. कासगंज	ग्राम म्यासुर से उलई खेड़ा तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	75.51	20.99	17.30	37.22	30.00
53	नि.ख. कासगंज	पटियाली बदायूं हाइवे से नगला पंछी होते हुए नगला चेती तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	104.63	29.19	23.40	52.04	42.00
54	नि.ख. कासगंज	ग्राम म्याऊ की डामर सड़क से बछुईया तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	96.92	27.05	21.41	48.46	39.00
55	नि.ख. कासगंज	ग्राम अहमददेव नागर(नगला मोहन) से ग्राम गढका तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	382.31	81.33	66.24	234.74	191.15
56	नि.ख. कासगंज	जनपद कासगंज में कासगंज अमांपुर सिढपुरा पटियाली मार्ग के सिढ़पुरा से पटियाली तक भाग के चौड़ीकरण का कार्य।	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	2497.76	499.51	24.50	1973.75	624.44
							कुल योग-	3309.37

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 33,09,37,000/- (रूपये तैंतीस करोड़ नौ लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-459/2022/1202रासनि(1)/23-1-22/003-02आरएसएन/2022टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in